

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 13.05.2010

संख्या वैब 4 /ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2010 . – हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 47 में, उप नियम –(1) में विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्न तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्;–

“तालिका

क्रम संख्या	भट्टे की क्षमता	प्रवर्ग	01.10.2009 से 30.09.2010 तक की अवधि के लिए कर के बदले में भुगतानयोग्य एकमुश्त कर
1.	33 संख्या से अधिक घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	+क	2,68,800/– रुपये जमा 33 घोड़ी से ऊपर प्रति अतिरिक्त घोड़ी 9360/– रुपये ।
2.	28 से 33 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	क	2,68,800/–रुपये
3	22 से 27 संख्या की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ख	2,10,000/–रुपये
4.	22 संख्या से कम की घोड़ी की क्षमता वाला ईट भट्टा	ग	1,68,000/–रुपये
5.	30 सितम्बर, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान न जलाया गया	घ	42,000/– रुपये

ईट भट्ठा, जिसमें प्रथम अक्टूबर, 2009 को भट्ठे के अन्दर तथा बाहर सभी प्रवर्गों की ईटों का स्टॉक पांच लाख से अधिक न हों।		
--	--	--

(टिप्पण :- यदि कोई भट्ठा दो स्थानों पर जलाए जाने वाले आकार का है, तो ऐसे भट्ठे के मालिक द्वारा भुगतानयोग्य एक मुश्त राशि की दर उपरोक्त दरों से दुगनी होगी)।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।